>

Title : Need to take steps to bring the Nomadic and Semi-nomadic tribes in the mainstream of the country.

श्री राजाराम पाल (अकबरपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। 62 वर्ष गणतंत्र को लागू हुए हो गए और 65 वर्ष आजादी के हो गए। इस देश में 14-15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जो समाज के उस आखिरी पॉयदान पर खड़े हैं, जिनके पास बुनियादी सुविधा जैसे राशन कार्ड, वोटर लिस्ट में नाम और रहने के लिए कोई मकान नहीं है। जो लोग जंगलों में रहते हैं, भेड़ और बकरी पालते हैं। वे बंदर और भालू नचाते हैं, रस्सी पर चढ़ते हैं और कृषि कार्य में प्रयोग होने वाले उन तमाम औजारों के साथ सड़क पर अपनी बैलगाड़ी में खुले आसमान में जीवनयापन करने के लिए मजबूर हैं। पूरे देश में लगभग 14-15 करोड़ लोग ऐसे हैं, जिन्होंने भारत सरकार से मांग की थी, जिस मांग के तहत रेनके आयोग का गठन किया गया था। रेनके आयोग ने पूरे देश में घूम-घूम कर समाज के ऐसे व्यक्तियों के लिए एक सिफारिश, अपनी रिपोर्ट 2-7-2008 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, जो आज की तारीख में स्पीकर, लोक सभा हैं, उनके सामने पेश करने का काम किया था। आज पूरे देश के हजारों लोग जंतर-मंतर में सुबह से धरने पर बैठे हैं।

सभापति महोदय, माननीय संसदीय मंत्री यहां बैठे हैं, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं और यूपीए चेयर परसन का ध्यान दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस का एजेंडा है, "कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ।" ये वे लोग हैं, जिन्हें 62 वर्ष गणतंत्र के बाद भी आज तक कोई लाभ नहीं मिला है, उन्हें लिस्टेड नहीं किया गया है। ऐसे लोगों को इस देश की मुख्य धारा में लाने के लिए, उन्हें चिन्हित करके बुनियादी सुविधाओं से ओतप्रोत करने का काम किया जाए और रेनके आयोग की सिफारिशों को लागू करने का काम किया जाए, मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं।